दि0 :— 16.11.2017 | मे जारी हुए

यह प्रार्थना पत्र अधिवक्ता श्री राजेन्द्र यादव द्वारा अन्तर्गत धारा 212 R.T.Act 1955 उक्त उनवानी राजस्व वाद के साथ पेश किया। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में राजस्व लिपिक द्वारा प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। अभिभाषक प्रार्थी का अंतरिम अस्थायी निषेधाज्ञा प्रदान किये जाने का निवेदन रहा। बहस एक पक्षीय सुनी गयी। बहस प्रार्थी अभिभाषक, पत्रावली पर प्रस्तुत दस्तावेजात् एवं प्रस्तुत शपथ पत्र का अवलोकन किया गया। मुताबिक पत्रावली प्रथम दृष्टया मामला, अपूर्णीय क्षति एवं सुविधा का संतुलन प्रार्थी के पक्ष में है। अतः पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजानुसार एवं बहस एकपक्षीय, प्रार्थी के मध्य नजर अप्रार्थी सं0 01 लगा0 03 को अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा पाबन्द किया जाना न्यायोचित है।

अतः अप्रार्थी सं0 01 लगा0 03 को जरिये अन्तरिम अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता कि वो विवादित आराजी खसरा नं0 854/1 रकबा 0.19 है0 वाके ग्राम तिनकीरूड़ी तहसील मुण्डावर जिला अलवर (राज0) के राजस्व रिकॉर्ड एवं मौके की यथास्थिति बनाये रखे। अप्रार्थीगण की तामील जरिये तहसीलदार/रजिस्टर्ड ए0डी0 डाक से की जावें। अप्रार्थीगण को सशुल्क तलवाना/रजिस्टर्ड ए0डी0 से नोटिस जारी होकर पत्रावली अज अदालतेमाल के समक्ष वकालतान्/असालतन पक्ष रखने हेतु आगामी तारीख पेशी दिनांक 21.12.2017 को पेश हो।

उपखण्डाधिकारी
मुण्डावर (अलवर)

आज पत्रावली मूल दावा के साथ प्रार्थना पत्र पेश होकर पेश हुई। प्रार्थी स्वयं एवं वकील प्रार्थी उप0 अप्रा0/ प्रार्थी की मूल पत्रावली [illegible] डाक [illegible] की तामील की जा चुकी है [illegible] पत्रावली [illegible] आगे कार्यवाही [illegible] [illegible] की जाती है एवं पूर्व में जारी [illegible] आदेश [illegible] [illegible] है। पत्रावली [illegible] [illegible] मूल दावा रहे। [illegible]

उपखण्डाधिकारी
मुण्डावर (अलवर)

Not Pare [illegible] 9d [illegible]

Scanned by CamScanner